

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4151
13.12.2019 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट

4151. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ई-अपशिष्ट प्रबंधन के विनियमन हेतु नीति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पुनर्चक्रण उद्योग की असंगठित प्रकृति के कारण उक्त नीति के कार्यान्वयन में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारत में पुनर्चक्रण उद्योग की असंगठित प्रकृति के कारण इस नीति को कार्यान्वित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या ई-अपशिष्ट के अनुपयुक्त शोधन के खतरों के बारे में पुनर्चक्रण उद्योग या पुनर्चक्रण संकुल में कार्य कर रहे लोगों को सूचित करने के लिए मंत्रालय कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाता है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

- (क) मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2016 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए गए हैं और इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मार्च, 2018 में इसमें और अधिक संशोधन किए गए। इन नियमों के प्रावधानों में उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व (ईपीआर), उत्पादक दायित्व संगठनों (पीआरओ) की स्थापना, ई-अपशिष्ट विनियम, ई-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु थोक उपभोक्ताओं के विशिष्ट उत्तरदायित्व शामिल हैं। इन नियमों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एकल प्राधिकार के माध्यम से भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरलीकृत करने का प्रावधान है। राज्य सरकारों को ऐसी सुविधाओं में नियुक्त किए गए कामगारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय स्थापित करने और औद्योगिक कौशल विकास कार्यक्रमों को करने के लिए ई-अपशिष्ट भंजन और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए औद्योगिक स्थल अभिनिर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- (ख) से (घ) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 ईपीआर के सिद्धांत पर आधारित हैं जो ई-अपशिष्ट के एकत्रण और प्राधिकृत भंजनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को ई-अपशिष्ट का एकत्रण और उसका चैनलीकरण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है। वर्ष 2017-18 के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों के लिए निर्धारित कुल एकत्रण लक्ष्य 35,422 टन था और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य 1,54,242 टन था। देश में 7,82,080 टन की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता वाले लगभग 312 प्राधिकृत ई-अपशिष्ट, पुनर्चक्रणकर्ता/भंजक हैं। कुल एकत्रण लक्ष्य मौजूदा भंजकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं की कुल प्रसंस्करण क्षमता के भीतर है। अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने और उनकी प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ, ऑनलाइन ई-अपशिष्ट मेटेरियल बैलेन्स सिस्टम का सृजन करने, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की अनौपचारिक क्षेत्र में

लीकेज की जांच करने और धातू निष्कर्षण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सेंटर फॉर मेटेरियलस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सीएमईटी) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग (सीडीएसी) को लगाया है।

(च) और (छ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थानीय निकायों और एनपीसी के साथ उद्योगों, एसपीसीबी और स्थानीय निकायों, पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि सहित विभिन्न हितधारकों के लिए वर्ष 2017-18 में 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे। सीपीसीबी ने वर्ष 2017 के बीच इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजीटल भारत की पहलों के तहत, 'इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय खतरों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम' शीर्षक से एक परियोजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण उपकरणों, कन्टेंट सामग्रियों, वीडियो, ई-अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने के लिए असंगठित सेक्टर में उपयोग किए गए प्रदूषण उत्पन्न करने वाले तरीकों से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता सृजन हेतु मुद्रित सामग्रियां उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न शहरों में 1923 कार्यशालाएं और कार्यकलाप आयोजित किए गए, स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय कल्याण संघों, विनिर्माण, अनौपचारिक प्रचालकों आदि से लगभग 13.27 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया। देश के युवाओं के बीच सिनेमा के माध्यम से भी जनजागरूकता सृजित की गई है जिसमें 2813 सिनेमा हॉलों में लगभग 21.7 करोड़ दर्शकों को शामिल किया गया है।
